



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223916
CG-DL-E-24122020-223916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4110]
No. 4110]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/ पौष 2, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSA 2, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.अ. 4673(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री विवेक कुमार रघुवंशी, अपर कलेक्टर, गुना, मध्य प्रदेश सरकार को श्री उमेश प्रकाश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, मुरैना, मध्य प्रदेश सरकार के स्थान पर, अतिरिक्त कार्यभार आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/71/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4673(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Sh. Vivek Kumar Raghuwanshi, Additional Collector, Guna, Government of Madhya Pradesh vice Shri Umesh Prakash Shukla, Joint Collector, Morena, Government of Madhya Pradesh to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s GAIL (India) Limited in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/71/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.